प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में
सिविल अपीलीय अधिकारिता

व्यवहार अपील सं. **6798/2019**
(@विशेष अनुमति याचिका **(**सी**)** सं. **4371/2011)**

प्रेम सिंह ...अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। .. प्रत्यर्थी **(**गण**)**

के साथ

व्यवहार अपील सं. **6804/2019**
(@विशेष अनुमति याचिका **(**सी**)** सं. **5775/2018)**

व्यावहारिक अपील सं. **6799-6803/2019**
(@विशेष अनुमति याचिका **(**सी**)** सं. **613-617/2018)**

व्यावहारिक अपील सं. **6938-6942/2019**
(@विशेष अनुमति याचिका **(**सी**)** सं. **21252-21256/2019**
(डायरी सं. **(**ऐं**)** 11803/2018)

एस.एल.पी.**(**सी**)** सं. **19310/2017** में एमए सं. **1541/2018**

एस.एल.पी.**(**सी**)** सं. **19234/2017** में एमए सं. **1542/2018**

एस.एल.पी.**(**सी**)** सं. **19346/2017** में एमए सं. **1544/2018**

एस.एल.पी.**(**सी**)** सं. **19350/ 2017** में एमए सं. **1545/2018**

एस.एल.पी.**(**सी**)** सं. **19740/2017** में एमए सं. **1546/ 2018**

एस.एल.पी.**(**सी**)** सं. **19297/2017** में एमए नं. **1543/ 2018**

व्यवहार अपील सं. **6805/2019**
(@विशेष अनुमति याचिका **(**सी**)** सं. **18754/2018)**

व्यवहार अपील सं. **6806/2019**
(@विशेष अनुमति याचिका **(**सी**)** सं. **25706/2018)**

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

व्यवहार अपील सं. 6937/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21250/2019
(डायरी सं. (ऐं) 32599/2018)

व्यवहार अपील सं. 6943/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21262/2019
(डायरी सं. (ऐं) 35336/2018)

व्यवहार अपील सं. 6810/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 30460/2018)

व्यवहार अपील सं. 6944/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21265/2019
(डायरी सं. (ऐं) 36218/2018)

व्यवहार अपील सं. 6945/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21266/2019
(डायरी सं. (ऐं) 36406/2018)

व्यवहार अपील सं. 6808/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 29893/2018)

व्यवहार अपील सं. 6809/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 30196/2018)

व्यवहार अपील सं. 6946/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21267/2019
(डायरी सं. (ऐं) 38274/2018)

व्यवहार अपील सं. 6825/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 508/2019)

व्यवहार अपील सं. 6947/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21268/2019
(डायरी सं. (ऐं) 38286/2018)

व्यवहार अपील सं. 6948/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21269/2019
(डायरी सं. (ऐं) 38388/2018)

व्यवहार अपील सं. 6949/2019

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21270/2019
(डायरी सं. (ऐं) 38391/2018)

व्यवहार अपील सं. 6811/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 30461/2018)

व्यवहार अपील सं. 6812/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 30462/2018)

व्यवहार अपील सं. 6807/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 29567/2018)

व्यवहार अपील सं. 6950/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21271/2019
(डायरी सं. (ऐं) 39346/2018)

व्यवहार अपील सं. 6813/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 30979/2018)

व्यवहार अपील सं. 6951/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21272/2019
(डायरी सं. (ऐं) 40382/2018)

व्यवहार अपील सं. 6952/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21273/2019
(डायरी सं. (ऐं) 40385/2018)

व्यवहार अपील सं. 6953/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21274/2019
(डायरी सं. (ऐं) 40389/2018)

व्यवहार अपील सं. 6954/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21275/2019
(डायरी सं. (ऐं) 40392/2018)

व्यवहार अपील सं. 6955/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21276/2019
(डायरी सं. (ऐं) 40396/2018)

व्यवहार अपील सं. 6956/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21279/2019

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(डायरी सं. (ऐं) 40487/2018)

व्यवहार अपील सं. 6957/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21280/2019
(डायरी सं. (ऐं) 40493/2018)

व्यवहार अपील सं. 6826/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 512/2019

व्यवहार अपील सं. 6958/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21281/2019
(डायरी सं. (ऐं) 41600/2018)

व्यवहार अपील सं. 6959/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21282/2019
(डायरी सं (ऐं) 41601/2018)

व्यवहार अपील सं. 6960/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21283/2019
(डायरी सं. (ऐं) 41602/2018)

व्यवहार अपील सं. 6961/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21284/2019
(डायरी सं. (ऐं) 41607/2018)

व्यवहार अपील सं. 6962/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21285/2019
(डायरी सं. (ऐं) 41610/2018)

व्यवहार अपील सं. 6963/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21286/2019
(डायरी सं. (ऐं) 41798/2018)

व्यवहार अपील सं. 6964/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21287/2019
(डायरी सं. (ऐं) 41805/2018)

व्यवहार अपील सं. 6965/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 21288/2019
(डायरी सं. (ऐं) 41808/2018)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

व्यवहार अपील सं. 6827/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं.513/2019)

व्यवहार अपील सं. 6819/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 383/2019)

व्यवहार अपील सं. 6828/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 514/2019)

व्यवहार अपील सं. 6816/2019
(@विशेष अनुमति याचिका. (सी) सं. 32624/2018)

व्यवहार अपील सं. 6817/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 32627/2018)

व्यवहार अपील सं. 6815/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 32534/2018)

व्यवहार अपील सं. 6824/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 504/2019)

व्यवहार अपील सं. 6818/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 32628/2018)

व्यवहार अपील सं. 6814/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 32494/2018)

व्यवहार अपील सं. 6834/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं.1722/2019)

व्यवहार अपील सं. 6823/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 503/2019)

व्यवहार अपील सं. 6822/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 502/2019)

व्यवहार अपील सं. 6821/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 501/2019)

व्यवहार अपील सं. 6820/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 446/2019)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

व्यवहार अपील सं. 6833/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 1721/2019)

व्यवहार अपील सं. 6838/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 1726/2019)

व्यवहार अपील सं. 6832/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 1720/2019)

व्यवहार अपील सं. 6829/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 795/2019)

व्यवहार अपील सं. 6831/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 1716/2019)

व्यवहार अपील सं. 6830/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 796/2019)

व्यवहार अपील सं. 6844/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 2311/2019)

व्यवहार अपील सं. 6835/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 1723/2019)

व्यवहार अपील सं. 6839/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 1727/2019)

व्यवहार अपील सं. 6840/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 1728/2019)

व्यवहार अपील सं. 6837/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 1725/2019)

व्यवहार अपील सं. 6836/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 1724/2019)

व्यवहार अपील सं. 6843/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 2310/2019)

व्यवहार अपील सं. 6853/2019

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 3085/2019)

व्यवहार अपील सं. 6846/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 2852/2019)

व्यवहार अपील सं. 6841/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 2308/2019)

व्यवहार अपील सं. 6842/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 2309/2019)

व्यवहार अपील सं. 6845/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 2312/2019)

व्यवहार अपील सं. 6856/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 3088/2019)

व्यवहार अपील सं. 6855/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 3087/2019)

व्यवहार अपील सं. 6858/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 3867/2019)

व्यवहार अपील सं. 6852/2019
(@विशेष अनुमति याचिकाा (सी) सं. 3084/2019)

व्यवहार अपील सं. 6847/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 2853/2019)

व्यवहार अपील सं. 6850/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 2856/2019)

व्यवहार अपील सं. 6857/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 3866/2019)

व्यवहार अपील सं. 6859/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 3868/2019)

व्यवहार अपील सं. 6848/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 2854/2019)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

व्यवहार अपील सं. 6849/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 2855/2019)

व्यवहार अपील सं. 6860/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 3869/2019)

व्यवहार अपील सं. 6851/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 2857/2019)

व्यवहार अपील सं. 6864/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 5157/2019)

व्यवहार अपील सं. 6861/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 3870/2019)

व्यवहार अपील सं. 6862/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 3871/2019

व्यवहार अपील सं. 6854/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 3086/2019)

व्यवहार अपील सं. 6863/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 3872/2019)

व्यवहार अपील सं. 6866/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 5159/2019)

व्यवहार अपील सं. 6869/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 5355/2019)

व्यवहार अपील सं. 6877/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 7233/2019)

व्यवहार अपील सं. 6870/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 5356/2019)

व्यवहार अपील सं. 6868/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 5354/2019)

व्यवहार अपील सं. 6876/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 7232/2019)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

व्यवहार अपील सं. 6874/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 6647/2019)

व्यवहार अपील सं. 6879/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 7235/2019)

व्यवहार अपील सं. 6865/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 5158/2019)

व्यवहार अपील सं. 6875/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 7227/2019)

व्यवहार अपील सं. 6871/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 5357/2019)

व्यवहार अपील सं. 6878/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 7234/2019)

व्यवहार अपील सं. 6867/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 5160/2019)

व्यवहार अपील सं. 6873/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 6646/2019)

व्यवहार अपील सं. 6872/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 6645/2019)

व्यवहार अपील सं. 6882/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 7742/2019)

व्यवहार अपील सं. 6881/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 7741/2019)

व्यवहार अपील सं. 6884/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 8301/2019)

व्यवहार अपील सं. 6880/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 7739/2019)

व्यवहार अपील सं. 6883/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 8300/2019)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

व्यवहार अपील सं. 6900/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 11909/2019)

व्यवहार अपील सं. 6885/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 8302/2019)

व्यवहार अपील सं. 6887/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 9288/2019)

व्यवहार अपील सं. 6886/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 9269/2019)

व्यवहार अपील सं. 6888/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 9289/2019)

व्यवहार अपील सं. 6889/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 9290/2019)

व्यवहार अपील सं. 6890/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 9291/2019)

व्यवहार अपील सं. 6891/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 9292/2019)

व्यवहार अपील सं. 6895/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 10095/2019)

व्यवहार अपील सं. 6892/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 9293/2019)

व्यवहार अपील सं. 6896/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 10096/2019)

व्यवहार अपील सं. 6897/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 10097/2019)

व्यवहार अपील सं. 6893/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 9294/2019)

व्यवहार अपील सं. 6898/2019

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 11824/2019)

व्यवहार अपील सं. 6894/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 10094/2019)

व्यवहार अपील सं. 6901/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 11910/2019)

व्यवहार अपील सं. 6899/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 11825/2019)

व्यवहार अपील सं. 6904/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 12358/2019)

व्यवहार अपील सं. 6903/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 12357/2019)

व्यवहार अपील सं. 6905/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 14496/2019)

व्यवहार अपील सं. 6902/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 12356/2019)

व्यावहारिक अपील संख्याऐं 6927-6929/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्याऐं 15421-15423/2019)

व्यवहार अपील सं. 6906/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 14497/2019)

व्यवहार अपील सं. 6907/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 14498/2019)

व्यवहार अपील सं. 6908/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 14499/2019)

व्यवहार अपील सं. 6909/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 14500/2019)

व्यवहार अपील सं. 6910/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 14502/2019)

व्यवहार अपील सं. 6911/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 14505/2019)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

व्यवहार अपील सं. 6912/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 14506/2019)

व्यवहार अपील सं. 6930/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 15424/2019)

व्यवहार अपील सं. 6913/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 14507/2019)

व्यवहार अपील सं. 6914/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 14509/2019)

व्यवहार अपील सं. 6915/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 14510/2019)

व्यवहार अपील सं. 6916/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 14511/2019)

व्यवहार अपील सं. 6917/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 14512/2019)

व्यवहार अपील सं. 6918/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 14513/2019)

व्यवहार अपील सं. 6919/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 14514/2019)

व्यवहार अपील सं. 6921/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 14640/2019)

व्यवहार अपील सं. 6923/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 14705/2019)

व्यवहार अपील सं. 6925/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 15418/2019)

व्यवहार अपील सं. 6920/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 14516/2019)

व्यवहार अपील सं. 6924/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 15052/2019

व्यवहार अपील सं. 6922/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 14704/2019)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

व्यवहार अपील सं. 6931/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 15425/2019)

व्यवहार अपील सं. 6932/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 15426/2019)

व्यवहार अपील सं. 6926/2019
(@विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 15419/2019)

निर्णय

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा

1. वर्तमान मामलों में शामिल सवाल यह है कि क्या यूपी सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1961 (संक्षेप में '1961 की नियमावली') के नियम 3 (8) और उत्तर प्रदेश के सिविल सेवा विनियमन के विनियमन 370 को इस तथ्य के दृष्टिगत विखण्डित किया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने पंजाब राज्य में अधिनियमित पैरा मटेरिया (समान बिषयवस्तु वाले) प्रावधान के सम्बन्ध में निर्णय को बरकरार रखा है जिसने पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा से कार्य प्रभारित सेवाओं की अवधि की गणना को बाहर रखा है। इस न्यायालय ने केसर सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए आई आर 1988 पंजाब और हरियाणा 265 में दिए गए पंजाब और हरियाणा राज्य के उच्च न्यायालय के विनिश्चय की पुष्टि की है।

2. इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किए जाने को निर्दिष्ट किया है। इसलिए मामला हमारे सामने है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

3. तथ्यों को प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (सी.ए. संख्या_____वर्ष 2019 @एसएलपी (दीवानी) सं. 4371 वर्ष 2011) से बताया जा रहा है। अपीलार्थी को कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठान (राम गंगा नदी घाटी परियोजना, कालगढ़) में वर्ष 1965 में वेल्डर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया और उसके बाद अंततः चयन समिति ने उनकी सेवाओं को नियमित करने की सिफारिश की। उनकी सेवाओं को दिनांक 13. 3. 2002 को नियमित किया गया था और नियमित अधिष्ठान में रु. 3050-4590 के वेतनमान में पंप ऑपरेटर के रूप में तैनात किया गया था। वह दिनांक 31.1.2007 को सेवानिवृत्त हो गया। फिर उन्होंने दिनांक 31. 7. 2008 को 1965 के नियमावली के तहत अर्हकारी सेवा के रूप में कार्य-प्रभारित अधिष्ठान में बितायी गई अवधि की गणना के लिए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, तदनुसार यह दाखिल किया गया था जो दिनांक 12.12.2008 को अस्वीकृति हुआ। फिर एक और दाखिल किया गया प्रत्यावेदन भी दिनांकित 23.3.2009 के आदेश के द्वारा उसी परिणती को प्राप्त हुआ। रिट याचिका और विशेष अपील खारिज कर दी गई थी।

4. अपीलकर्ता ने हबीब खान बनाम उत्तराखंड राज्य (2017 की दीवानी अपील सं. 10805-10807) में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखी है, जिसमें इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने सिविल सेवा विनियमों के विनियमन 370 पर विचार करते हुए, जिसको उत्तर प्रदेश राज्य से इसके द्विभाजन के बाद उत्तराखंड राज्य में मंजूरी दी

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

गई है, यह अवधारित किया कि विनियमन 370 पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 3. 17 (ii) में निहित प्रावधान के समान पैरा मेटेरिया प्रावधान है, जिसे केसर चंद बनाम पंजाब राज्य और अन्य (उपरोक्त) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ द्वारा निरस्त किया गया था। इसी की चुनौती को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। न्यायालय आगे पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम नाराता सिंह और अन्य (2010) 4 एससीसी 317 पर अवलम्बित हुआ है। जिसमें यह मत व्यक्त किया गया है कि पंजाब सिविल सेवा नियमावली का नियम 3.17(ii) को अभिखंडित करने में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पूर्णतः न्यायोचित था जिसके परिणामस्वरूप अस्थायी और स्थानापन्न सेवा और कार्य प्रभारित सेवा के बीच उक्त नियम में किए गए विभेद का निर्वापन हो गया है इस न्यायालय ने अवधारित किया कि कार्य-प्रभारित सेवा की अवधि को पेंशन के अनुदान के लिए अर्हकारी सेवा की गणना के लिए गिना जाना चाहिए।

5. अन्य मामलों में इस अदालत ने कर्मचारियों को राहत देते हुए हबीब खान बनाम उत्तराखंड राज्य (उपरोक्त) में पूर्वोक्त निर्णय का अनुसरण किया है। दिनांक 16. 3. 2018 को निर्णीत राम देव तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2018 की दीवानी अपील सं. 2896) में हबीब खान (उपरोक्त) के फैसले का अनुसरण किया गया है। इस अदालत ने हबीब खान (उपरोक्त) के मामले में दायर पुनर्विचार आवेदन को खारिज कर दिया है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

6. यह उत्तर प्रदेश राज्य के लिए उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री रघुवेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में नियमों और विनियमों में अंतर है। उच्च न्यायालय द्वारा केसर चंद बनाम पंजाब राज्य (सुप्रा) में पंजाब के नियम को निरस्त कर दिया। पंजाब में अभिकल्पित नियमितीकरण था, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में सेवाओं को एक विशेष तिथि पर नियमित किया गया है; इस तरह की तारीख को नियमों के नियम 3 (8) के तहत पेंशन के लिए अर्हकारी अवधि के लिए सेवाओं के प्रारंभ के रूप में लिया जाना चाहिए। उन्होंने नियमित और कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के बीच वैचारिक अंतर को भी बताया है। नियमित कर्मचारियों के समान प्रक्रिया का पालन करके कार्य प्रभारित कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाती है। कार्य भार और जवाबदेही में भी अंतर होता है। उन्होंने आगे कहा है कि कार्य प्रभारित सेवाओं को, यहां तक कि बीमित कैरियर प्रगति (एसीपी) के लिए भी नियमित सेवा के रूप में नहीं माना जा सकता है। सरकार के पास कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग नियमों को बनाने की शक्ति है इस तरह नियमावली के नियम 3 (8) और विनियम 370 को मनमाना और भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, कार्य प्रभारित कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत सुरक्षा का दावा कर सकते हैं, लेकिन नियमित स्थापना के कर्मचारियों के समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। उनसे समान व्यवहार करना असमान वर्गों से समान व्यवहार करना जैसा होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन उपबंधित समानता के अधिकार के विरुद्ध होगा। कार्य प्रभारित कर्मचारी एक अलग और विशिष्ट वर्ग बनाते हैं। उन्हें नियमित, अस्थायी या तदर्थ कर्मचारियों के बराबर नहीं माना

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जा सकता है। कार्य गुणात्मक रूप से भिन्न है कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठान में ऐसी सेवाओं को नियमित स्थापना की सेवाओं के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है जब तक कि उस प्रभाव के लिए एक विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया हो। कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देना पेंशन की मूल अवधारणा के खिलाफ है जो एक नियमित कर्मचारी के लिए स्वीकार्य है। पेंशन का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

7. उन्होंने आगे कहा कि केसर चंद (उपरोक्त) में निर्णय *पेर इनक्यूरिअम* (असर्तकता के कारण) है। इसलिए सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी और अन्य 2006 (4) एससीसी 1 पर अवलम्बित हुए। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी यदि कार्य प्रभारित अवधि को अर्हकारी सेवा के रूप में मानते हुए पेंशन का भुगतान किया जाता है। इन याचिकाओं को अनुमति प्रदान करने की स्थिति में राज्य पर यह व्यावहारिक रूप से कठिन और वित्तीय बोझ डालेगा। पेंशन का भुगतान केवल नियमों के तहत किया जा सकता है। नराता सिंह (उपरोक्त) में पंजाब विनियमों की वैधता का परीक्षण नहीं किया गया है। चूंकि डिवीजन बेंच ने हबीब खान (सुप्रा) की यथार्थता पर संदेह करते हुए एक संदर्भ किया है, यह *पेर इनक्यूरिअम* (असर्तकता के कारण) अवधारित होने योग्य है और इसे एक अच्छा कानून अवधारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

8. हम पहले उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1961 (संक्षेप में, "1961 की नियमावली") में निहित प्रावधानों पर विचार करते हैं। 1961 के नियमों के नियम 3 (8) जिसमें अर्हकारी सेवा के संबंध में प्रावधान हैं, निम्नानुसार उद्धृत किया गया हैं:

> "नियम 3. इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा कुछ नहीं है –
> (1).....
> (2).....
> (8) " अर्हकारी सेवा" से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो सिविल सेवा विनियमों के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करती है।
>
> बशर्ते कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन बिना व्यवधान के निरंतर अस्थायी या स्थानापन्न सेवा के बाद उसी या किसी अन्य पद पर पुष्टि की गयी हो, सिवाय –
> (i) गैर–पेंशनयोग्य स्थापना में अस्थायी या स्थानापन्न सेवा की अवधि।
> (ii) कार्य–प्रभारित स्थापना में सेवा की अवधि और
> (iii) आकस्मिकताओं से संदत्त किसी पद में सेवा की अवधि भी अर्हक सेवा के रूप में गिनी जाएगी।
> <u>नोट:–यदि गैर–पेंशनयोग्य स्थापना, कार्य–प्रभारित प्रतिष्ठान में प्रदान की गई सेवा या आकस्मिकताओं से भुगतान किए गए पद पेंशनयोग्य स्थापना में अस्थायी सेवा की दो अवधियों के बीच या पेंशनयोग्य स्थापना में अस्थायी सेवा और स्थायी सेवा की अवधि के बीच आती है, तो यह सेवा में रुकावट का गठन नहीं करेगा। '</u>
>
> (जोर दिया गया)

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

9. उत्तर प्रदेश सिविल सेवा विनियमों के विनियम 361, 368 और 370 भी प्रासंगिक हैं। इन्हें निम्नवत् उद्धृत किया गया है:

> "361. किसी अधिकारी की सेवा पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करती जब तक कि वह निम्नलिखित तीन शर्तों के अनुरूप न हो: –
> प्रथम–सेवा सरकार के अधीन होनी चाहिए।
> दूसरा–नियोजन मूल और स्थायी होना चाहिए।
> इन तीन शर्तों को निम्नलिखित धारा में पूरी तरह से समझाया गया है।
> 368. सेवा अर्हता प्राप्त नहीं करती जब तक अधिकारी स्थायी प्रतिष्ठान में एक मूल पद धारण नहीं करता है।
> 370. उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन बिना व्यवधान के निरंतर अस्थायी या स्थानापन्न सेवा के बाद उसी या किसी अन्य पद पर पुष्टि की गयी हो, अहर्ता प्राप्त करेंगें सिवाय –
> (i) गैर–पेंशन योग्य स्थापना में अस्थायी या स्थानापन्न सेवा की अवधि;
> (ii) कार्य प्रभारित स्थापना में सेवा की अवधि; और
> (iii) आकस्मिकताओं से संदत्त किसी पद में सेवा की अवधि।"

10. अर्हकारी सेवा वह है जो विनियमन 368 के प्रावधानों के अनुसार हो अर्थात् स्थायी स्थापना में एक मूल पद धारण करना। नियम 3(8) का परन्तुक स्पष्ट करता हैं कि बिना व्यवधान के निरंतर, अस्थायी या स्थापन्न सेवा के बाद उसी या किसी अन्य पद में पुष्टि को भी अर्हकारी सेवा में शामिल किया जाता है, सिवाय गैर-पेंशन योग्य स्थापना में अस्थायी और स्थानापन्न सेवा की अवधि के मामले में। कार्य-प्रभारित स्थापना में सेवा और आकस्मिकताओं से भुगतान किए गए पद पर सेवा की अवधि की भी अर्हकारी सेवा के रूप में गणना नहीं होगी।

11. नियम 3 (8) से संलग्न टिप्पण में यह उपबंध है कि यदि किसी गैर -पेंशनयोग्य स्थापना, कार्य-प्रभारित स्थापना या आकस्मिकताओं से संदत्त किसी पद में सेवा प्रदान की जाती है और वह पेंशन योग्य स्थापना में अस्थायी सेवा की दो अवधियों के बीच या पेंशनभोगी स्थापना में अस्थायी सेवा और स्थायी सेवा की अवधि के बीच आता है, तो यह सेवा में व्यवधान गठित नहीं करेगा। इस प्रकार,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

टिप्पण में कार्य प्रभारित, आकस्मिकता भुगतान और गैर-पेंशन योग्य स्थापना में प्रदान की गई अर्हकारी सेवा की गणना करने का एक स्पष्ट प्रावधान है, जिसकी इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों में पेंशन योग्य सेवा के लिए गणना की जाती है।

12. सिविल सेवा विनियमों के विनियमन 370 में निहित प्रावधान गैर-पेंशन योग्य स्थापना, कार्य-प्रभारित स्थापना और आकस्मिकताओं से संदत्त पद में सेवा को अहर्कारी सेवा के क्षेत्र से बाहर करता है। सिविल सेवा विनियमों के विनियमन 361 के तहत, सेवाएं सरकार के अधीन होनी चाहिए और नियोजन मूल और स्थायी आधार का होना चाहिए।

13. प्रस्तर 667, 668 और 669 में कार्य प्रभारित स्थापना में कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड़ VI में निहित प्रावधानों को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

> "667. कार्य–प्रभारित स्थापना में इस तरह की स्थापना सम्मिलित होगी जो मूल निष्पादन के आधार पर नियोजित हो, जो सामान्य पर्यवेक्षण के कार्य या विनिर्दिष्ट प्रोजेक्ट उप कार्य से या विभागीय श्रमिकों भण्डारण तथा मशीनरी के इस तरह के उपकार्यों से अलग हों। जब इस प्रकृति के कार्यों पर अस्थायी अधिष्ठानों की नियुक्ति की गई हो तो उनका भुगतान तत्समय के लिए प्रत्यक्ष कार्यों के प्रभारित होने पर किया जाएगा।
>
> नोट–(1) वे व्यक्ति जो कि इस तरह के कार्य को स्वयं अपने हाथों से करते है जैसे कि बेलदार, कारपेन्टर्स, फिटर्स, मशीनमैन, ड्राइवर आदि तो उन्हें केवल तभी नियोजित किया जाए जब कार्य विभागीय रीति से हो तो तथा कार्य को यह प्रभारित हो। उन मामलों में जिसमें सरकारी टूल्स , प्लांट, जैसे रोड रोलर, कंकरीट मिक्चर, पम्पिंग सेट या अन्य मशीनरी को क्षति से बचाने के लिए यह आवश्यकता माना गया है जो विभाग द्वारा या वैकल्पितः लगाये गये हैं, या ठेकेदार द्वारा लगाये गये हैं विभाग द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा, भले ही कार्य विभाग द्वारा या संविदा द्वारा कार्य कराये गये हैं।
>
> (2) मिस्त्री तथा कार्य अभिकर्ता प्रत्येक परिस्थितियों में भले ही वे विभागीय निष्पादित कार्य पर नियोजित हों या संविदा पर, "कार्य" पर प्रभारित होंगें।
>
> (3) प्रस्तर 665 तथा 667 में संप्रेक्षित साधारण सिद्धान्तों के अधीन रहते हुए इन परिभाषाओं से आच्छादित न होने वाली वर्गीकृत स्थापना यथास्थिति मामले के अनुसार "प्रभारित कार्य या अस्थाई" के रूप में वर्गीकृत की जा सकेंगी, तथा नियम जो विहित करता है कि कार्य– प्रभारित अधिष्ठान विनिर्दिष्ट कार्य के लिए नियोजित होना चाहिए है उन्हें महालेखाकार की सहमति तथा सरकार की पूर्व सम्मति से त्याग दिया जाए।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

इस तरह के मामलों में सरकार महालेखाकार से परामर्श से भी यह निर्धारित करेगी कि जिन अनुपातों में ऐसी स्थापना की लागत संबंधित कार्यों के बीच आवंटित की जाएगी।

668. जैसा कि हस्तपुस्तिका के खण्ड़ 1 में प्रतिपादित है या आदेशों के विभागीय मैनुअल में है उन सभी मामलों में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मन्जूरी अपेक्षित है जो प्रत्येक नियुक्ति के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट होना चाहिए (1) भुगतान का समेकित दर (2) मन्जूरी की अवधि तथा (3) कार्य का पूरा नाम (जैसा कि मद में दिया गया हो) और कार्य की प्रकृति जिसे करने के लिए व्यक्ति नियोजित किया जायेगा।

669. कार्य– प्रभारित स्थापना के सदस्य निम्नलिखित मामलों के सिवाय किसी पेन्शन या अवकाश वेतन या भत्ते के हकदार नहीं होंगे–

(अ) सिविल सेवा विनियम के भाग 6 में दिए गए नियमों के अनुसार स्वीकृत निश्चित मामलों में उपदान तथा अन्य आसाधारण पेन्शन तथा ?,

(ब) खण्ड़ अधिकारी राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत कार्य के हित में जिसके लिए व्यक्तियों को नियोजित किया गया है इस तरह के कार्यों को करने में निम्न शर्तों के अधीन यात्रा के लिए यात्रा तथा दैनिक भत्ता अनुज्ञात कर सकेगा।

(i) यात्रा खण्ड़ अधिकारी द्वारा या उप खण्ड़ अधिकारी / खण्ड़ अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेषतया सशक्त किये गए सहायक अभियन्ता द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए,

(ii) सम्बन्धित अधिकारी को यात्रा को मन्जूर करते समय यह भी प्रमाणित करना चाहिए कि यात्रा उस कार्य के हित में है जिसमें कि व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, अपरिर्हाय है और वास्तव में आवश्यक है।

(iii) इस तरह की यात्रा करने वाले कार्य– प्रभारित नियोजक को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता उसी दर तथा शर्त पर अनुज्ञात किया जाएगा, जिस दर तथा शर्त पर समान प्रास्थिति के नियमित सरकारी कर्मचारी को इस तरह का यात्रा परिदत्त किया जाता है।

4. कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों के कर्मकारों को स्वीकार्य सभी सुविधायें और रियायतें , पंजीकृत राज्य कार्यशालाओं और कारखाना के कर्मचारियों को भी स्वीकार्य हैं।

14. मैनुअल के प्रस्तर 669 में यह प्रावधान है कि इसके नीचे बताये गये मामलों को छोड़कर कार्य प्रभारित स्थापना के सदस्य किसी पेंशन या अवकाश वेतन या भत्ते के हकदार नहीं हैं।

15. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा केशर चंद बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1988 पंजाब और हरियाणा (उपरोक्त) का निर्णय दिया गया है। पंजाब नियमों का नियम 3.17 (ii) पूर्ण पीठ के समक्ष विचार के लिए लाया गया जो निम्नानुसार है:

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

नियम 3.17. "यदि कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को मूल रूप से एक स्थायी पद धारण कर रहा था, तो राज्य सरकार के अधीन बिना किसी व्यवधान के उसकी अस्थायी या स्थानापन्न सेवा, उसी या किसी अन्य पद पर पुष्टि होने से, पूर्ण रूप से अर्हकारी सेवा के रूप में गिनी जाएगा। सिवाय इसके सम्बन्ध में–

(i) गैर–पेंशन योग्य स्थापना में अस्थायी या स्थानापन्न सेवा की अवधि;

(ii) कार्य प्रभारित स्थापना में सेवा की अवधि; और

(iii)..... "

16. केशर चंद (उपरोक्त) में उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने इस मामले पर चर्चा की है इस प्रकार:

"19 उपरोक्त के प्रकाश में, हम पंजाब सिविल सेवा नियमावली, खण्ड़ V। के नियम 3.17(ii) की वैधता की जांच करते हैं। यह नियम कहता है कि किसी कार्य–प्रभारित प्रतिष्ठान में सेवा की अवधि को अर्हकारी सेवा की गणना करने में नहीं लिया जाएगा। कार्य–प्रभारित कर्मचारी की सेवाओं को नियमित किए जाने के बाद वह एक लोक सेवक बन जाता है। सेवा सरकार के अधीन है और उसके द्वारा भुगतान किया जाता है। यह वही है जो दिनांकित 1 जून, 1972 के औद्योगिक पंचाट में, कामगार और मुख्य अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड़ आर) स्थापना शाखा, पंजाब, पटियाला के मध्य यथार्थतः कहा गया था जो दिनांक 14 जुलाई 1972 के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। अन्यथा भी, यह मामला पंजाब सरकार के प्रदर्श संख्या 14095–BR। (3)–72/5383 दिनांक 6 फरवरी 1973 (संलग्नक पी 7) द्वारा निपटाया गया था, जहां यह कहा गया था कि उन सभी कार्य प्रभारित कर्मचारियों जिन्होनें दस साल या उससे अधिक की सेवा दिनांक 15 अगस्त 1972 को कर ली थी, उनकी सेवाओं को नियमित माना जाएगा। एक बार जब कार्य–प्रभारित कर्मचारी की सेवाओं को नियमित कर दिया जाता है, तो उसे पेंशन लाभ से वंचित करने के लिए शायद ही कोई तर्क प्रतीत होता है जैसा कि नियमों के नियम 3.17 के तहत अन्य लोक सेवकों के लिए उपलब्ध है। कानूनों के समान संरक्षण का अर्थ है समान प्रास्थिति के सभी व्यक्तियों के लिए समान कानूनों की संरक्षण है। अनुच्छेद 14 मनमानी पर प्रहार करता है क्योंकि एक मनमाने प्रावधान में समानता को नकारना शामिल है। यहां तक कि अर्हकारी सेवा का निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार के अधीन अस्थायी या स्थानापन्न सेवा की भी गणना करनी चाहिए। यह अतार्किक लगता है कि किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियमितीकरण से पहले कार्य–प्रभारित स्थापना में बितायी गयी सेवा की अवधि को उसकी अर्हकारी सेवा के निर्धारण के लिए ध्यान में नहीं रखा गया है। वर्गीकरण जो सरकारी कर्मचारियों के मध्य किया जाना अपेक्षित है, जो पेंशन के लिए पात्र हैं और जिन्होनें कार्य–प्रभारित कर्मचारियों के रूप में कार्य करना शुरू किया था और बाद में उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया गया और अन्य किसी बोधगम्य कसौटी पर आधारित हैं और इसलिए, कानून में संपोषणीय नहीं है। कार्य–प्रभारित कर्मचारी की सेवाओं को नियमित किए जाने के बाद, वह अन्य कर्मचारी की तरह एक लोक सेवक है। उसे पेंशन से वंचित करना न केवल अन्यायपूर्ण और असमान है, बल्कि मनमानी के दोष से प्रभावी है,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

और इन कारणों से, नियमों के नियम 3.17 का उप–नियम(ii) के प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण अभिखण्ड़ित किया जाना चाहिए।

20. प्रत्यर्थी–प्राधिकारियों द्वारा नियमों के नियम 3. 17 (ii) के शिथिलीकरण में, सोलह कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवा को पंजाब सरकार, सिंचाई और बिजली विभाग (सिंचाई शाखा) प्रदर्श सं. 2/5/81/– आईबी (6)/16411 दिनांक 7 नवंबर, 1982 (संलग्नक पी 2) के द्वारा उपदान और पेन्शन लाभ के लिए गिना गया था, जो निम्नानुसार है:

> "संलग्न तालिका में वर्णित नांगल वर्कशॉप के 16 कार्य–प्रभारित कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपदान के लिए पूर्व कार्य–प्रभारित सेवा की गणना करने हेतू पंजाब सिविल सेवा नियमावली, खंड II के नियम 3. 17 के शिथिलीकरण में पंजाब सरकार की स्वीकृति इन शर्तों के अधीन दी गई है कि इन कार्य–प्रभारित कर्मचारियों को उनकी सेवा के नियमितीकरण के समय कोई टर्मिनल लाभ नहीं दिया गया है।
>
> पंजाब के राज्यपाल की स्वीकृति भी पेंशन के लिए इन 16 कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवा की गणना को एक विशेष परिस्थिति में प्रदान की गयी है बशर्ते कि उनके द्वारा पेंशन लाभ के बदले कोई लाभ पहले ही लिया ना जा चुका हो। "
>
> यदि प्रत्यर्थी सं.1 ने कुछ मामलों में नियमों से छूट प्रदान की है, तो हमें पेंशन और उपदान लाभों के अनुदान से दूसरों को बाहर करने का कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं मिलता है। इस कारण से भी, हम पाते हैं कि नियम 3.17(ii) विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि यह सरकार को समान रूप से स्थित कर्मचारियों के बीच भेदभाव करने में सक्षम बनाता है।

21. विद्वान अपर महाधिवक्ता, श्री बेदी द्वारा प्रस्तुत कथनों पर विचार किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया था कि (i) एक कार्य–प्रभारित कर्मचारी एक विशेष उद्देश्य के लिए नियोजित किया जाता है, जिसके पूरा होने पर उसकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं, (ii) राज्य सरकार द्वारा उस पद के सापेक्ष याचिकाकर्ता की पुष्टि करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिस पर उसकी सेवाएं नियमित की गयी हैं और फलस्वरूप वह नियमों के नियम 3.12 द्वारा परिकल्पित पेंशन के लिए हकदार एक सरकारी कर्मचारी की शर्तों को पूरा नहीं करता है। अधिवक्ता ने पंजाब सिविल सेवा नियमावली, खण्ड़ 1 के नियम 1. 4 को अवलम्बित करते हुए सरकारी कार्रवाई को सही ठहराने की भी कोशिश की। यह आगे कहा गया कि पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर) स्थापना शाखा उद्योग नहीं है और इस कथन के समर्थन में वह पंजाब राज्य बनाम कुलदीप सिंह आईएलआर (1982) 2 पंजाब व हरियाणा 544; (ए.आई.आर. 1983 एनओसी 94) (एफबी) और ओम प्रकाश बनाम

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रबंधन मेसर्स कार्यकारी अभियंता, एसवाईएल संभाग, कुरुक्षेत्र, आईएलआर (1984) 2 पंजाब व हरियाणा 215: (1984 लैब आईसी 1165) (एफबी) पर अवलम्बित हैं।

22. उनका पहला तर्क किसी भी योग्यता से रहित है। याचिका के प्रस्तर 3 में, यह विर्निष्टतः प्रकथित है कि याचिकाकर्ता ने एक भी दिन के विराम के बिना 1951 से लेकर वर्ष 1977 में उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक नियमित सेवा की थी। लिखित कथन के संबंधित पैरा में, इस दावे से इनकार नहीं किया गया है, लेकिन एकमात्र दलील यह है कि पेंशन और उपदान के लिए उनकी अर्हकारी सेवा 15 अगस्त 1972 से शुरू होती है, अर्थात् जिस दिन से उन्हें नियमित कैडर में लाया गया था; और यह कि कार्य–प्रभारित स्थापना में की गयी उसकी सेवा नियमावली के नियम 3.17(ii) के तहत पेंशन के लिए गणना नहीं होती है।यह दलील कि वह निरंतर सेवा में रहा, से इनकार नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक परियोजना के पूरा होने पर, याचिकाकर्ता किसी अन्य परियोजना में या तो ब्रेक के साथ या बिना किसी ब्रेक के सेवा में लगे हुए थे। एक याचिका में दी गयी प्रत्येक दलीलें को विर्निदिष्टतः अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और एक विशिष्ट इनकार के अभाव में, याचिका में किए गए दावे को साधारणतया स्वीकृत होना माना जाएगा या कम से कम अदालत इस आधार पर आगे बढ़ सकती है कि यह एक अविवादित तथ्य है। चूंकि प्रत्यर्थियों द्वारा इस बात से कोई इनकार नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता 1951 से निरंतर सेवा में है, इसलिए यह प्रकल्पना की जाएगी कि वह सेवानिवृत्ति की तारीख तक निरंतर सेवा में रहा है। दूसरा तर्क कि राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को उस पद के सापेक्ष पुष्टि करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिस पर उसकी सेवाओं को नियमित किया गया था, और इसलिए, यह भी योग्यता(गुण) के बिना है। सेवाओं का नियमितीकरण एक विशेष पद के सापेक्ष होना चाहिए, और याचिकाकर्ता को उस पद पर स्थायी माना जाएगा जिसके सापेक्ष उसकी सेवाओं को नियमित किया गया है। यह पंजाब सरकार के प्रदर्श (संलग्नक पी 7) और दिनांक 1 जून, 1972 के औद्योगिक न्यायाधिकरण का पंचाट, दिनांक 14 जुलाई, 1972 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसे पहले संदर्भित किया गया था, का उद्देश्य यथार्थतः प्रतीत होता है। पंचाट में, यह विर्निदिष्टतः अवधारित किया गया था कि तीन साल की निरंतर सेवा में रखे गए कार्य–प्रभारित कर्मचारी स्थायी होने के हकदार हैं और वर्कमैन द्वारा मांग की जाने पर पांच साल की सेवा में रखने के बाद पुष्टि किये जाने योग्य है। पंचाट कामगारों और पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) स्थापना शाखा के प्रबंधन को आबद्ध कर सकता है। तकनीकी रूप से यह पीडब्ल्यूडी की अन्य शाखाओं के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकता है एक बार कार्य–प्रभारित कर्मचारी की सेवाएं नियमित हो जाने के बाद उसे नियमावली के नियम 3.17 के अधीन लाभ का हकदार समझा जाएगा। "

(जोर दिया गया)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पंजाब सरकार के प्रदर्श दिनांकित 6 फरवरी 1983 के अनुसार सेवा के दस साल पूरे होने पर सेवाओं को नियमित किया गया माना गया था। अन्यथा भी, उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि एक बार कर्मचारियों को नियमित किए जाने के बाद, उन्हें पंजाब सिविल सेवा नियमावली के नियम 3.17 के तहत उपलब्ध उनके पेंशन लाभ से वंचित करने के लिए शायद ही कोई तर्क प्रतीत होता है। कार्य-प्रभारित स्थापना के अधीन प्रदान की गई समानता से उन्हें वंचित करना अनुचित और असाम्यिक होगा।

17. यह भी अवधारित किया गया है कि कुछ मामलों में नियमों से छूट दी गई थी। चूंकि नियम सरकार को समान रूप से स्थित कर्मचारियों के बीच भेदभाव करने में सक्षम बनाता है, इसलिए उसे अभिखण्ड़ित किया जाना चाहिए। पेंशन और उपदान लाभों के अनुदान से दूसरों को बाहर करने का कोई कारण नहीं है। इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

18. पंजाब राज्य बिजली बोर्ड बनाम नराता सिंह (2010) 4 एससीसी 317 में, इस न्यायालय ने एक बार फिर पेंशन लाभ के अनुदान के लिए अर्हकारी सेवा के निर्धारण के समान प्रश्न पर विचार किया, विशेष रूप से, राज्य सरकार के साथ कार्य-प्रभारित क्षमता में पिछली सेवा का लाभ और क्या इसे पेंशन योग्य सेवा के रूप में शामिल किया जा सकता है। दिनांक 25.5.1985 के परिपत्र द्वारा पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड ने दिनांक 20. 5. 1982 के पत्र में निहित राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय को अपनाया। नीतिगत निर्णय को अपनाने का प्रभाव यह था कि अस्थायी कर्मचारी जो केंद्र/राज्य सरकार की सेवाओं से छंटनी हुए थे और पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड में नियोजन प्राप्त करने में सफल रहे हैं, वे केंद्र/राज्य सरकार के अधीन प्रदान की गई पूर्व सेवा की गणना करने के हकदार हैं, उस सीमा तक, ऐसी सेवा केंद्र/राज्य सरकार के नियम के तहत पेंशन के अनुदान के लिए अर्ह थी। केशर चंद बनाम पंजाब राज्य (सुप्रा) पर अवलम्बित करते हुए यह अवधारित किया गया है कि सेवानिवृत्ति की तारीख पर एक स्थायी पद धारण करने वाले कर्मचारी कार्य-प्रभारित स्थापनाा में प्रदान की गई

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सेवा की अवधि को पूर्ण रूप से अर्हकारी सेवा के रूप में गणना करने का अधिकार है। इस प्रकार, विभाग इस आधार पर इसे बाहर नहीं कर सकता था कि यह गैर-पेंशन योग्य स्थापना पर प्रदान किया गया था।

19. नराता सिंह (उपरोक्त) के मामले में तथ्य यह था कि प्रत्यर्थी संख्या1 को दिनांक 1.2.1952 से 18.9.1953 तक कार्य-प्रभारित आधार पर नियोजित किया गया था। दिनांक 25.9.1953 से वह भाखड़ा बांध परियोजना में एक कार्य -प्रभारित कर्मचारी के रूप में शामिल हुए और दिनांक 27.1.1962 को वहाँ से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वह दिनांक 1.2.1962 को बिज़ डैम परियोजना में शामिल हुए और दिनांक 15.4.1978 तक एक कार्य-प्रभारित कर्मचारी के रूप में उक्त परियोजना पर काम किया। उसकी उक्त परियोजना से दिनांक 15.4.1978 के प्रभाव से छंटनी की गयी और परियोजना के सक्षम प्राधिकारी द्वारा छंटनी प्रतिकर का संदाय किया गया था। भाखड़ा बांध परियोजना और व्यास बांध परियोजना पंजाब राज्य के सिंचाई और विद्युत विभाग के अधीन हैं। इस प्रकार, दो परियोजनाओं के तहत प्रदान की गई सेवाएं वास्तव में पंजाब राज्य के तहत सेवाएं थीं। प्रत्यर्थी संख्या 1 को तब पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कार्य-प्रभारित आधार पर विशेष फोरमैन के रूप में दिनांक 6.8.1982 से 5.1.1984 तक नियुक्त किया गया था। फिर दिनांक 6.1.1984 को उन्हें नियमित आधार पर नियुक्त किया गया। सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर , उन्होंने राज्य सरकार के अधीन कार्य-प्रभारित आधार पर उनके द्वारा प्रदान की गई पूरी सेवा को ध्यान में रखते हुए पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभों के अनुदान के लिए एक प्रत्यावेदन दिया। दिनांक 25.1.1991 के आदेश से, पेंशन को अस्वीकार कर दिया गया और उसे केवल उपदान का भुगतान किया गया था। बोर्ड का रुख यह था कि प्रत्यर्थी संख्या1 ने 7 साल 11 महीने और 25 दिन की सेवा दी। इस प्रकार वह पेंशन की मंजूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं था। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने रिट याचिका की अनुमति दी और बोर्ड को निर्देश दिया कि पेंशन के अनुदान के लिए अर्हकारी सेवा निर्धारित करने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

के लिए पंजाब राज्य के अधीन प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रदान की गई कार्य-प्रभारित सेवा को शामिल किया जाए। न्यायालय दिनांक 29.5.1992 के परिपत्र पर भी अवलम्बित हुआ। जब इस न्यायालय में अपील की गयी, इस मामले को अंशदायी भविष्य निधि योजना के गुणावगुण पर विचार के लिए प्रेषित कर दिया गया। इसके बाद, एकल न्यायाधीश ने रिट आवेदन को खारिज कर दिया, जिसे नराता सिंह द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील में प्रश्नगत किया गया। डिवीजन बेंच ने उन दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए जिन्हे दाखिल किया गया था, मामले पर पुनर्विचार के लिए निर्देशित किया और अपील को लंबित रखा। फिर से, बोर्ड ने दिनांक 16. 11. 2005 के सकारण आदेश से मामले को खारिज कर दिया। तत्पश्चात, उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए अपील को निर्णीत किया कि उसने कार्य-प्रभारित क्षमता में सेवा की थी जो बोर्ड की परिधि से बाहर थी और उक्त सेवा जहाँ तक राज्य सरकार का संबंध था, गैर-पेंशन योग्य थी। केशर चंद बनाम पंजाब राज्य पर अवलम्बित होते हुए, डिवीजन बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि नियम जिसने एक कर्मचारी की कार्य-प्रभारित सेवा की गिनती को बाहर रखा था, जिसकी सेवाओं को बाद में नियमित किया गया था, वह विधि में सही नहीं था। केंद्र /राज्य सरकार ने परामर्श में आनुपातिक , सेवा शेयर आधार पर आनुपातिक पेंशन दायित्व को बांटने का फैसला किया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय का प्रभाव यह था कि अस्थायी कर्मचारी, जिसे केंद्र/राज्य सरकार की सेवाओं से हटा दिया गया है और पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन रोजगार प्राप्त कर लिया था, उसके द्वारा केंद्र/राज्य सरकार के अधीन प्रदान की गई अस्थायी सेवा की गणना इस सीमा तक करने का हकदार था कि केंद्र/राज्य सरकार के नियमों के तहत पेंशन देने के लिए ऐसी सेवा अर्ह थी। नरात सिंह (उपरोक्त) में यह न्यायालय केसर चंद (उपरोक्त) पर अवलम्बित हुआ और अवलोकन किया:

> "25. केसर चंद बनाम पंजाब राज्य 1988 (5) एसएलआर 27 (पी एंड एच) में पूर्ण पीठ ने अवधारित किया कि पंजाब सिविल सेवा नियमावली का नियम 3.17(ii) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। पूर्ण पीठ के फैसले को इस अदालत के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

करके चुनौती दी गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा प्रतिपादित आधार यह है कि कोई भी नियम जो किसी कर्मचारी की कार्य–प्रभारित सेवा की गिनती को बाहर करता है, जिसकी सेवाओं को बाद में नियमित किया गया है, को कानून में खराब होना अवधारित किया जाना चाहिए,को इस न्यायालय द्वारा बाधित नहीं किया गया था। एक कर्मचारी जो अस्थायी या स्थानापन्न सेवा में था और जो पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 3. 17 (ii) में उल्लिखित कार्य–प्रभारित सेवा में था, के बीच का अंतर तब गायब हो गया जब उक्त नियम पूर्ण पीठ द्वारा अभिखण्ड़ित हो गया था। इसका प्रभाव यह था कि अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख पर एक स्थायी पद धारण करने वाले कर्मचारी की कार्य–प्रभारित प्रतिष्ठानों में सेवा की अवधि को अर्हकारी सेवा के रूप में पूर्ण रूप से गिनती करने का अधिकार था।

26. इस स्थापित स्थिति के दृष्टिगत, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंजाब सरकार के अधीन प्रत्यर्थी 1 द्वारा प्रदान की गई कार्य–प्रभारित सेवा पंजाब सरकार के नियमों के तहत पेंशन देने के लिए अर्ह थी और इसलिए, राज्य सरकार के साथ उसके द्वारा प्रदान की गई कार्य–प्रभारित सेवा की अवधि को पेन्शन के अनुदान लिए शामिल करने के प्रतिवादी के दावे को इस आधार पर खारिज करने में बोर्ड सही नहीं था, कि पीएसईबी से बाहर और राज्य सरकार के विभागों में कार्य–प्रभारित क्षमता में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा एक गैर–पेंशन योग्य सेवा थी।

27. यह आशंका कि प्रत्यर्थी के मामले को स्वीकार करने से उन्हे पंजाब राज्य के कर्मचारी की प्रास्थिति मिल जायेगी, का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। यह सच है कि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अपने कर्मचारियों की सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों को बनाने की शक्ति है, जबकि बोर्ड के पास विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 79 (सी) के तहत विनियम बनाकर सेवा की शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति है। हालांकि, किसी विशेष संस्थान का शासन और उन क्षेत्रों में अंतर को भरने के लिए निर्देश जारी करना जहां वैधानिक प्रावधान संचालित नहीं होते हैं, आधुनिक समय में प्रशासन के वैध मोड के रूप में मान्यता प्राप्त है।

40. जहां तक इस तर्क का संबंध है, यह सच है कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने उपरोक्त निर्णय में उपरोक्त राय व्यक्त की है। हालाँकि, पंजाब सिविल सेवा नियमावली के नियम 3.17(ii) के साथ–साथ केसर चंद बनाम पंजाब राज्य (उपरोक्त) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय और बोर्ड द्वारा प्रत्यर्थी 1 के दावे को खारिज करते हुए पारित दिनांक 16–11–2005 के सकारण आदेश का संदर्भ यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट करता है कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को राज्य सरकार के साथ कार्य–प्रभारित क्षमता में प्रत्यर्थी 1 द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि की गणना पेंशन के उद्देश्य के लिए अर्हकारी सेवा के रूप में निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी 1 को यह निदेश दिया गया है कि वह कर्मचारी के अंशदायी निधि की राशि, उसे पेंशन दिए जाने से पूर्व

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

बोर्ड के निदेशों के अनुसार ब्याज सहित, जो उसने अपीलकर्ताओं से प्राप्त की थी, जमा करे। ”

(जोर दिया गया)

20. हबीब खान बनाम उत्तराखंड राज्य (दीवानी अपील सं. 10806 सन् 2017) में, राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण ने एक कार्य-प्रभारित कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा की गिनती पेंशन के लिए 'अर्हकारी सेवा' के रूप में करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश के खिलाफ उत्तराखंड राज्य द्वारा रिट याचिका सं. 24 सन् 2007 दायर की गई थी। इसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया था। उक्त आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति दायर की गई थी जिसे भी खारिज कर दिया गया था। बाद में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह दृष्टिकोंण लिया कि कार्य प्रभारित सेवा की अवधि को 'अर्हकारी सेवा' की अवधि की गणना के लिए नहीं गिना जा सकता है। पूर्ण पीठ के फैसले के आधार पर, रिट याचिका सं. 24 सन् 2007 को खारिज करने के आदेश के पुनर्विलोकन की मांग की गई थी, जिसे 27 जुलाई 2012 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, इसे इस न्यायालय में प्रश्नगत किया गया, फिर एसएलपी को प्रत्याहरण(विड्रॉ) के रूप में खारिज कर दिया गया। पुनर्विलोकन याचिका के आधार पर, मामले को फिर से सुना गया और उच्च न्यायालय ने 26 मई 2015 के आदेश द्वारा अवधारित किया कि कार्य-प्रभारित सेवा को 'अर्हकारी सेवा' की अवधि की गणना के लिए नहीं गिना जा सकता है। पुनर्विचार याचिका के स्वीकृत किए जाने के पश्चात् पारित उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय हबीब खान बनाम उत्तराखंड राज्य में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। इस न्यायालय द्वारा 23. 8. 2017 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

"6 पंजाब सिविल सेवा नियमावली के नियम 3.17(ii) में निहित पैरा मटेरिया प्रावधान को केसर चंद बनाम पंजाब राज्य और अन्य (उपरोक्त) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय द्वारा अभिखण्ड़ित किया गया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के पूर्वोक्त निर्णय के विरूद्ध राज्य द्वारा चुनौती को इस न्यायालय द्वारा नकार दिया गया। यह मामला पंजाब राज्य बिजली बोर्ड और अन्य बनाम

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

नराता सिंह और अन्य (2010) 4 एससीसी 317 के प्रकरण में एक बार फिर इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। उक्त प्रश्न से निपटने के दौरान इस न्यायालय ने रिपोर्ट के प्रस्तर 25 में अवधारित किया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ का निर्णय को पंजाब सिविल सेवा नियमावली के नियम 3.17(ii) को अभिखण्ड़ित करने में पूरी तरह से उचित ठहराया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 'अस्थायी और स्थानापन्न सेवा' और 'कार्य–प्रभारित सेवा' के बीच उक्त नियमों में किए गए भेद का विलोपन हुआ। उक्त आधार पर, इस न्यायालय ने यह दृष्टिकोंण लिया कि पेंशन के अनुदान के लिए 'अर्हकारी सेवा' की गणना के प्रयोजनों के लिए कार्य प्रभारित सेवा की अवधि की गणना की जानी चाहिए।

7. जैसा कि पहले ही अवलोकन किया गया है, उत्तराखंड राज्य के लिए लागू सिविल सेवा विनियमों के नियम 370 के प्रावधान पंजाब सिविल सेवा नियमावली के नियम 3.17(ii) के प्रावधानों के साथ पैरा मटेरिया(समान बिषयवस्तु वाले) हैं, जो ऊपर चर्चा की गई है। यदि ऐसा है, तो 'हम यह नहीं समझते हैं कि अपीलकर्ताओं द्वारा कार्य–प्रभारित आधार पर प्रदान की गई सेवा की अवधि को पेंशन के अनुदान के लिए 'अर्हकारी सेवा 'की गणना के प्रयोजनों के लिए क्यों नहीं गिना जाना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा नराता सिंह (उपरोक्त) में पंजाब सिविल सेवा नियमावली के नियम 3.17(ii) के पैरा मटेरिया प्रावधानों का निर्वचन किया गया है और उपरोक्त तरीके से इसे समझा गया है, हमें यह मानने के अलावा कोई अन्य दृष्टिकोण लेने की कोई गुंजाइश नहीं मिलती है कि अपीलकर्ता पेंशन के अनुदान के लिए 'अर्हकारी सेवा' की गणना के प्रयोजनों के लिए कार्य–प्रभारित सेवा की अवधि को गिनने का हकदार हैं। हम तदनुसार आदेश देते हैं; इन अपीलों की अनुमति देंते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को अपास्त करते हैं।

8. वर्तमान आदेश के संदर्भ में सभी आवश्यक और परिणामी लाभ का भुगतान किया जाएगा और राज्य द्वारा अपीलकर्ताओं को अविलम्ब और बिना देरी के दिया जाएगा।"

21. इस न्यायालय ने इस आधार पर अर्हकारी सेवा के लिए कार्य-प्रभारित सेवा अवधि की गणना का आदेश दिया कि पंजाब सिविल सेवा नियमावली के नियम 3.17(ii) में निहित पैरा मटेरिया प्रावधान केसर चंद बनाम पंजाब राज्य और अन्य (उपरोक्त) में अभिखण्ड़ित किया गया है। इस न्यायालय ने राहत देने के लिए पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड बनाम नराता सिंह और अन्य (उपरोक्त) का भी अवलम्बन दिया है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

22. उत्तर प्रदेश राज्य के लिए उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता ने जसवंत सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1979) 4 एससीसी 440 के फैसले का उल्लेख यह तर्क देने के लिए किया है कि कार्य-प्रभारित कर्मचारी वह है जो अस्थायी रूप से लगे हुए हैं और उनकी नियुक्ति उनके रोजगार की प्रकृति से, निर्दिष्ट कार्य के पूरा होने तक की गई थी। कार्य प्रभारित कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम में निहित प्रावधानों के लाभों के हकदार हैं। इस न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि वे अस्थायी कर्मचारी की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं जो किसी भी प्रकार के प्रतिपूरक लाभों के बिना रोजगार से बाहर करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथ्यों से इंगित होता है कि व्यास परियोजना के 36,000 कार्य-प्रभारित कर्मचारियों में से 26,000 ने छँटनी मुआवजे को स्वीकार कर लिया था। कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठान और उसके कर्मचारियों की स्थिति के विषय में इस न्यायालय ने इस प्रकार अवलोकन किया है:

> "42 मोटे तौर पर कार्य प्रभारित स्थापना का अर्थ उस स्थापना से होता है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सहित व्यय, "कार्य" के लिए प्रभार्य होते हैं। कार्य–प्रभारित प्रतिष्ठान से आने वाले कर्मचारियों के वेतन और भत्ते आमतौर पर कार्यों की अनुमानित लागत के एक अलग उप–शीर्ष के रूप में दिखाए जाते हैं।
>
> 43. व्यास परियोजना के उद्देश्य से नियोजित कुल श्रमिक संख्या कार्य–प्रभारित थी। कार्य–प्रभारित कर्मचारी अस्थायी आधार पर लगे हुए हैं और उनकी नियुक्तियां एक निर्दिष्ट कार्य के निष्पादन के लिए की जाती हैं। उनके रोजगार की प्रकृति से ही, उनकी सेवाएं स्वतः ही उन कार्यों के पूरा होने पर समाप्त हो जाती हैं जिनके एकमात्र उद्देश्य के लिए वे नियोजित हैं। उन्हें पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी एक्ट के तहत कोई राहत नहीं मिलती है और न ही उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के तहत कोई छंटनी लाभ या कोई लाभ प्राप्त होता है।
>
> 44. लेकिन हालांकि कार्य–प्रभारित कर्मचारियों को इन लाभों से वंचित किया जाता है, वे औद्योगिक श्रमिक हैं और औद्योगिक विवाद अधिनियम में निहित प्रावधानों के लाभों के हकदार हैं। उनके अधिकार उस विशेष अधिनियमन से प्राप्त होते हैं जिसके तहत रोजगार के अनुबंध में भी समायोजन और संशोधन हो सकता है। इसलिए, कार्य– प्रभारित कर्मचारी अन्य याचिकाकर्ताओं की तरह अस्थायी कर्मचारी की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं, जो किसी भी प्रकार के प्रतिपूरक लाभों के बिना रोजगार से बाहर करने के लिए उत्तरदायी हैं।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

49. हम यह कहना चाहेंगे कि कार्य–प्रभारित कर्मचारियों के संबंध में, यह उचित समय है कि सरकार अपने नियोजन को नियन्त्रित करने के लिए विशिष्ट नियम बनाए ताकि सभी संदेहों और भ्रम को दूर किया जा सके।"

(जोर दिया गया)

23. उपरोक्त मामले में शामिल प्रश्न बिजली क्षेत्र में ब्यास परियोजना के निर्माण कार्य में काम करने वाले श्रमिकों से संबंधित था जिनकी छँटनी की गयी थी। उन्हें अस्थायी रूप से और उनके रोजगार के नियमों और शर्तों के तहत नियुक्त किया गया था , सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। इस न्यायालय ने अवलोकन किया कि कर्मचारी अर्ध-स्थायी प्रास्थिति का दावा नहीं कर सकते। ऐसे अस्थायी कर्मचारी उस लाभ के हकदार नहीं थे। एक बार कार्य-प्रभारित कर्मचारियों द्वारा समझौता हो जाने के बाद वे समझौते से बंधे हुए थे।

24. जसवंत सिंह मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकन के दृष्टिगत, यह विवादित नहीं हो सकता है कि कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को एक विशेष परियोजना के लिए नियुक्त किया जाता है और यह देखा गया कि उनकी स्थिति अस्थायी कर्मचारियों की तुलना में बेहतर थी। हालांकि वे अर्ध-स्थायी स्थिति का दावा नहीं कर सकते। इसी समय , कार्य-प्रभारित कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने लाभों का दावा कर सकते हैं। इस न्यायालय ने इसी समय यह अवलोकन किया था कि सरकार को सभी संदेहों और भ्रम को दूर करने के लिए कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित विशिष्ट नियम बनाने चाहिए। जसवंत सिंह (उपरोक्त) में कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को एक विशेष परियोजना के लिए नियुक्त किया गया था और उसकी समाप्ति के बाद उन्हें हटा दिया गया था। वर्तमान मामलों में शामिल प्रश्न अलग है , क्या नियमितीकरण के बाद कर्मचारी अपनी सेवा की गणना करने के हकदार हैं। जसवंत सिंह (उपरोक्त) में शामिल सवाल अलग था और इसमें 1961 के नियमों के नियम 3 (8) जैसा कोई नियम शामिल नहीं था।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

25. विद्वान महाधिवक्ता ने राजस्थान राज्य बनाम कुंजी रमन (1997) 2 एससीसी 517 में निर्णय पर अवलम्बन दिया है जिसमें इस न्यायालय ने समान काम के लिए समान वेतन की अवधारणा पर विचार किया। इस न्यायालय ने अवधारित किया कि समान काम के लिए समान वेतन की अवधारणा पीडब्ल्यूडी के नियमित कर्मचारी के सापेक्ष कार्य-प्रभारित कर्मचारी पर लागू नहीं होती है, वे दो अलग और विशिष्ट वर्ग बनाते हैं। इस न्यायालय ने यह माना कि नियमित स्थापना के एक कर्मचारी पर लागू सामान्य नियमों से उन्हें अपवर्जित करते हुए एक कार्य-प्रभारित कर्मचारी के लिए अलग नियम बनाना मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं था। राजस्थान राज्य द्वारा बनाए गए नियम विचार के लिए आये। इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने कार्य-प्रभारित स्थापना और नियमित स्थापना में अंतर को इंगित किया है। कार्य प्रभारित कर्मचारियों को इस आधार पर परियोजना भत्ता और अवकाश नकदीकरण भत्ते से वंचित कर दिया गया कि राजस्थान सेवा नियमावली 1951 और राजस्थान सेवा (परियोजना पर रियायतें) नियमावली 1962 उन पर लागू नहीं हुए। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ते का भुगतान समान कार्य के लिए समान वेतन या प्रतिफल के सिद्धान्त के विपरीत है। इसने राजस्थान सेवा नियमावली 1951 के नियम (छ), (ज) और (झ) की वैधता को बरकरार रखा और अवधारित किया कि कार्य- प्रभारित कर्मचारी उसी दर पर परियोजना भत्ता के हकदार हैं, जैसे कि नियमित स्थापना के कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा था। उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन के रूप में परियोजना नियमावली 1962 के नियम 2 (ख) और (घ) और परियोजना नियमावली 1975 के नियम 4(2)(4) को अभिखण्ड़ित कर दिया। इस न्यायालय ने जसवंत सिंह (उपरोक्त) के फैसले का उल्लेख किया और उसी का अनुसरण किया। इस न्यायालय ने इस प्रकार अवलोकन किया:

> 6 जसवंत सिंह बनाम भारत संघ (1979) 4 एससीसी 440 में इस न्यायालय द्वारा इंगित किया गया, कार्य– प्रभारित प्रतिष्ठान का मौटे तौर पर अर्थ है एक प्रतिष्ठान, जिसमें कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सहित व्यय, 'कार्य' के लिए प्रभार्य हैं। कार्य–प्रभारित प्रतिष्ठान से आने वाले कर्मचारियों

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

के वेतन और भत्ते आमतौर पर कार्यों की अनुमानित लागत के एक अलग उप–शीर्ष के रूप में दिखाए जाते हैं।कार्य –प्रभारित कर्मचारी अस्थायी आधार पर लगे हुए हैं और उनकी नियुक्तियां एक निर्दिष्ट कार्य के निष्पादन के लिए की जाती हैं। उनके रोजगार की प्रकृति से ही, उनकी सेवाएं स्वत: ही उन कार्यों के पूरा होने पर समाप्त हो जाती हैं जिनके एकमात्र उद्देश्य के लिए वे नियोजित हैं। इस प्रकार, एक कार्य–प्रभारित प्रतिष्ठान भौतिक रूप से और गुणात्मक रूप से एक नियमित प्रतिष्ठान से अलग है।

7. राजस्थान राज्य में, लोक निर्माण विभाग दो अलग–अलग प्रतिष्ठानों का रखरखाव कर रहा है: (1) नियमित और (2) कार्य–प्रभारित। नियमित स्थापना में काम करने वाले कर्मचारी आरएसआर द्वारा शासित होते हैं और कार्य–प्रभारित कर्मचारी कार्य–प्रभारित कर्मचारी सेवा नियमावली द्वारा शासित होते हैं। आरएसआर को अन्य बातों के साथ, कार्य–प्रभारित कर्मचारियों के लिए अनुचित बनाया जाता है। कार्य–प्रभारित कर्मचारी दो श्रेणियों में आते हैं: (1) वे जो एक परियोजना पर काम कर रहे हैं और (2) वे जो एक परियोजना पर काम नहीं कर रहे हैं। यह प्रतीत होता है कि माही बजाज सागर परियोजना की कार्य–प्रभारित स्थापना में लगे कामगारों के लिए सरकार ने औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के तहत अलग स्थायी आदेश बनाये हैं और वे उक्त परियोजना के कार्य –प्रभारित स्थापना में लगे सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं जिनकी सेवा की शर्तें को आरएसआर, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली और राजस्थान सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए किसी भी अन्य नियम द्वारा विनियमित नहीं किया गया हैं। स्थायी आदेश न केवल वर्गीकरण, भर्ती, और सेवा की समाप्ति के लिए बल्कि माही परियोजना में लगे व्यक्तियों के वेतन और भत्ते और अन्य सेवा शर्तों के लिए भी प्रावधान करते हैं। जबकि जो कर्मचारी किसी परियोजना पर काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें कार्य–प्रभारित वेतनमान मिलता है, जो एक परियोजना पर काम कर रहे हैं, उन्हें एक विशेष वेतनमान मिलता है और वे अन्य लाभों और भत्तों के भी हकदार होते हैं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम 1948 और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।,। याचिकाकर्ता और उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अन्य कर्मचारी निर्विवाद रूप से उक्त प्रमाणित स्थायी आदेशों द्वारा शासित हैं। उन्हें पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता है और इसलिए, वे अपनी इच्छा के अनुसार अपने खाली समय का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे ओवरटाइम मजदूरी पाने के भी हकदार हैं। उप–विभाजन को कार्य–प्रभारित कर्मचारियों के प्रतिष्ठान के उद्देश्य से एक इकाई के रूप में माना जाता है। प्रत्येक इकाई में पदोन्नति के साथ–साथ छंटनी के उद्देश्य से प्रत्येक श्रेणी की एक अलग वरिष्ठता सूची बनाए रखी जाती है। कार्य–प्रभारित कर्मचारी की सेवा एक कार्य–प्रभारित स्थापना से दूसरे कार्य–प्रभारित स्थापना में सामान्यत: हस्तांतरणीय नहीं है। ”

(जोर दिया गया)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

इस न्यायालय ने दोहराया है कि कार्य-प्रभारित कर्मचारी की प्रकृति से ही उनकी सेवाएं स्वतः उस एकमात्र उद्देश्य के लिए काम पूरा होने पर समाप्त हो जाती हैं जिसके लिए वे नियोजित किए गए हैं। सेवा आमतौर पर हस्तांतरणीय नहीं हैं; इस प्रकार, यह एक नियमित स्थापना से अलग है।

26. विद्वान महाधिवक्ता ने पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम जगजीवन राम (2009) 3 एससीसी 661 में निर्णय का भी उल्लेख किया है, जिसमें समयबद्ध पदोन्नति वेतनमान/ वृद्धि का लाभ प्रदान करने का प्रश्न उत्पन्न हुआ जो पदधारी के नियमित स्थापना में सेवा प्रदान करने के मामले में उपलब्ध था। इस न्यायालय ने अवलोकन किया कि नियमित सेवा का अर्थ नियमित नियुक्ति के बाद प्रदान की गई सेवाएं होता है और इसलिए इसमें तदर्थ, अस्थायी या कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के तहत प्रदान की गई सेवा शामिल नहीं है। इसलिए, कार्य- प्रभारित कर्मचारियों को वेतनमान की समयबद्ध उन्नति का लाभ तब तक नहीं दिया जा सकता था जब तक कि वे नियमित कर्मचारियों के रूप में सेवा की निर्धारित अवधि को पूरा नहीं करते। इस न्यायालय ने पुनः कार्य-प्रभारित कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों के बीच अंतर पर विचार किया और अवलोकन किया कि कर्मचारियों के नियोजन का स्रोत और मोड अलग-अलग हैं। उनका वेतन और नियोजन की शर्तें भी अलग हैं। कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर नहीं माना जा सकता है। वे नियमितीकरण का दावा एक अधिकार के रूप में नहीं कर सकते। हालांकि, वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सुरक्षा का दावा कर सकते हैं। दिनांक 23.4.1990 के कार्यालय आदेश पर विचार किया गया जिसने नियमित सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति को 'पदोन्नति वेतनमान का समय सीमा लाभ' उपलब्ध कराया। इस पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि कार्य-प्रभारित और नियमित प्रतिष्ठान अलग-अलग हैं। उनकी भर्ती का तरीका भी अलग है। इस न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि यदि किसी कार्य-प्रभारित कर्मचारी की सेवा को किसी निर्देश या किसी योजना के तहत नियमित किया जाता है, तो वह नियमितीकरण की तारीख से नियमित स्थापना का सदस्य बन जाता है। कार्य-प्रभारित स्थापना में

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सेवा को नियमित स्थापनाा की सेवा के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है जब तक कि उस प्रभाव का एक विशिष्ट प्रावधान या तो क़ानून में या नियमितीकरण की योजना में नहीं किया जाता है। यदि किसी विनियमन/नियम या योजना के तहत, कार्य- प्रभारित कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाता है, तो कार्य- प्रभारित कर्मचारी नियमित कैडर में वरिष्ठता के निर्धारण के लिए लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। जगजीवन राम (उपरोक्त) में इस अदालत ने इस प्रकार अवधारित किया है:

> "9 हमने संबंधित तर्कों पर विचार किया है। सामान्यतः, एक कार्य–प्रभारित स्थापना एक ऐसी स्थापना है जिसमें खर्च कार्यों के लिए प्रभार्य होते हैं। कार्य–प्रभारित प्रतिष्ठान में लगे कर्मचारियों के वेतन और भत्ते आमतौर पर कार्यों की अनुमानित लागत के एक निर्दिष्ट उप–शीर्ष के अधीन दिखाए जाते हैं। कार्य–प्रभारित कर्मचारी निर्दिष्ट कार्य या परियोजना के निष्पादन के लिए नियोजित किये जाते हैं और उनका नियोजन कार्य या परियोजना के पूरा होने पर समाप्त हो जाता है। कार्य–प्रभारित कर्मचारियों का नियोजन/भर्ती का स्रोत और तरीका, उनके वेतन और रोजगार की शर्तें संबंधित अधिनियम या नियमावली के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियमित स्थापना में नियुक्त व्यक्तियों से पूरी तरह अलग हैं तथा उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ भी नियमित कर्मचारियों की तुलना में काफी हद तक अलग हैं।
>
> 10. कार्य–प्रभारित कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम या किसी विशेष संविधि से प्राप्त होने वाले अधिकारों के तहत सुरक्षा का दावा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नियमित स्थापना के कर्मचारियों के समान स्तर पर नहीं माना जा सकता है। वे न तो अधिकार के रूप में सेवा के नियमितीकरण का दावा कर सकते हैं और न ही वे नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतनमान और अन्य वित्तीय लाभों का दावा कर सकते हैं। यदि किसी कार्य –प्रभारित कर्मचारी की सेवा को किसी भी क़ानून या नियोक्ता द्वारा बनाई गई योजना के तहत नियमित किया जाता है, तो वह नियमितीकरण की तारीख से नियमित स्थापना का सदस्य बन जाता है। कार्य–प्रभारित प्रतिष्ठान में उनकी सेवा को नियमित स्थापना की सेवा के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है जब तक कि उस प्रभाव का एक विशिष्ट प्रावधान या तो संबंधित संविधि या नियमितीकरण की योजना में नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि वह संविधि या योजना जिसके तहत कार्य–प्रभारित कर्मचारी की सेवा को नियमित किया जाता है, पिछली सेवा की गणना का प्रावधान नहीं करता है, तो कार्य–प्रभारित कर्मचारी ऐसी सेवा के लाभ का दावा नियमित कैडर में वरिष्ठता के निर्धारण, उच्च पदों पर पदोन्नति, उच्च वेतनमान में वेतन का निर्धारण, वेतन वृद्धि आदि के उद्देश्य से नहीं कर सकता है।
>
> 13. जसवंत सिंह मामले में पूर्व के निर्णय को नोटिस करने के बाद, अदालत ने अवधारित किया: (कुंजी रमन मामला, एससीसी पीपी. 521–23, प्रस्तर 8–10)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"8 एक कार्य–प्रभारित स्थापना इस प्रकार एक नियमित स्थापना से जो प्रकृति में स्थायी है, से भिन्न होती है। कार्य–प्रभारित अधिष्ठान की स्थापना और निरंतरता सरकार द्वारा एक परियोजना या एक योजना या एक 'कार्य' और इसे निष्पादित करने के लिए धन की उपलब्धता पर निर्भर है। जहाँ तक कार्य–प्रभारित प्रतिष्ठानों में लगे कर्मचारियों का संबंध है, न केवल उनकी भर्ती और सेवा शर्तें, बल्कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य और कर्तव्यों की प्रकृति नियमित स्थापना के कर्मचारियों के समान नहीं हैं। एक नियमित स्थापना और एक कार्य–प्रभारित प्रतिष्ठान दो अलग–अलग प्रकार के प्रतिष्ठान हैं और उन प्रतिष्ठानों में कार्यरत व्यक्ति इस प्रकार दो अलग और विशिष्ट वर्ग बनाते हैं। इस कारण से, यदि कार्य–प्रभारित प्रतिष्ठान में लगे व्यक्तियों के लिए नियमों का एक अलग सेट तैयार किया जाता है और नियमित स्थापना पर काम करने वाले व्यक्तियों पर लागू सामान्य नियम उन पर लागू नहीं किए जाते हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाता है। यह पूर्ण रूप से स्थापित है कि सरकार को कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग –अलग नियमों को बनाने की शक्ति है। इसलिए, हम दीवानी अपील सं. 653 सन् 1993 में अपीलार्थी की ओर से उठाये गये इन तर्कों को अस्वीकार करते हैं कि राजस्थान सेवा नियमावली के नियम 2 के खंड (छ), (ज) और (झ) संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन में हैं और उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखते हैं।

14. उपर्युक्त निर्णयों का आधार यह है कि कार्य प्रभारित कर्मचारी एक विशिष्ट वर्ग का गठन करते हैं और उनकी किसी अन्य श्रेणी या कर्मचारियों के वर्ग के साथ बराबरी नहीं की जा सकती बल्कि नियमित कर्मचारी से तो एकदम भी नहीं की जा सकती। और आगे कहा गया है कि कार्य प्रभारित कर्मचारी सेवा लाभों के हकदार नहीं हैं जो नियोक्ता द्वारा निर्धारित नीति या सुसंगत नियमों के तहत नियमित कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है।

20. बोर्ड द्वारा तैयार की गई योजना को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि समयबद्ध संवर्धनात्मक वेतनमान का लाभ केवल कर्मचारियों को उनकी 9/16 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर दिया जाना था। इसी प्रकार, संवर्धनात्मक वेतन वृद्धि का लाभ केवल 23 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर दिया जा सकता है। योजना के विभिन्न प्रस्तरों में 'नियमित सेवा' शब्द के उपयोग से पता चलता है कि नियमित नियुक्ति के बाद किसी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा को केवल 9/16/23 वर्ष की सेवा की गणना के लिए गिना जा सकता है और एक अस्थायी, तदर्थ या कार्य– प्रभारित कर्मचारी की सेवा को समयबद्ध संवर्धनात्मक वेतनमान या संवर्धनात्मक वेतन वृद्धि के लाभ को बढ़ाने के लिए नहीं गिना जा सकता है। यदि बोर्ड का यह आशय था कि प्रास्थिति और भर्ती के तरीके के बावजूद कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई कुल सेवा को

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

> समयबद्ध संवर्धनात्मक वेतनमान या संवर्धनात्मक वेतन वृद्धि मंजूर करने के लिए गिना जाना चाहिए तो पद "9/16 वर्ष की नियमित सेवा" या "23 वर्ष की नियमित सेवा" के प्रयोग के बजाय, संबंधित प्राधिकारी ने "9/16 वर्ष की सेवा" या "23 वर्ष की सेवा" पद का प्रयोग किया होता। तथापि, मामले का तथ्य यह है कि योजना अपने स्पष्ट शब्दों में , यथास्थिति समयबद्ध संवर्धनात्मक वेतनमान या संवर्धनात्मक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान करने के लिए शर्त के रूप में 9/16 वर्ष की नियमित सेवा या 23 वर्ष की नियमित सेवा की अपेक्षा को समाविष्ट करती है।"

27. पूर्वोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि यह सेवा नियमावली या योजनाओं पर निर्भर करेगा कि क्या कार्य-प्रभारित सेवा की अवधि को एसीपी के लिए गिना जाना है, यदि किसी विशेष संविधि, नियम या योजना के तहत प्रावधान किया गया है, तो कार्य- प्रभारित कर्मचारियों के रूप में प्रदान की गई सेवा को गिना जा सकता है। यह सुसंगत प्रावधान पर निर्भर करेगा जिसके लाभ का दावा किया जाता है। पुनः, इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि अपनी प्रकृति द्वारा ही कार्य-प्रभारित कर्मचारी लंबे समय तक नियोजित नहीं रहते हैं, परियोजना के साथ नियोजन समाप्त हो जाता है।

28. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से कार्य-प्रभारित कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों के बीच इस आधार पर मामले को अलग करने के लिए प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है कि कार्य प्रभारित कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सम्यक् प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, उनके पास इतना काम दबाव नहीं होता है, वे असमान हैं और समान रूप से व्यवहार नहीं किया जा सकता है, कार्य-प्रभारित कर्मचारी एक पूरी तरह से अलग वर्ग बनाते हैं, उनका कार्य भौतिक रूप से और गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, नियमित सेवा के साथ कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की सेवाओं का कोई संयोजन नहीं हो सकता है और इसके विपरीत, यदि एक कार्य-प्रभारित कर्मचारी को नियमित सेवा के रूप में माना जाता है, तो यह एक स्थायी और जिम्मेदार नियमित कर्मचारी को प्रोत्साहन और इनाम देने की मूल अवधारणा को कमजोर करेगा।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

29. हम पूर्वोक्त तर्कों से प्रभावित नहीं हैं। विचाराधीन कार्य-प्रभारित कर्मचारी की नियुक्ति मासिक वेतन पर की गई थी और उन्हें दक्षता सीमा को भी पार करना आवश्यक था। उनकी सेवाएं नियमित कर्मचारियों से गुणात्मक रूप से कैसे भिन्न हैं? मात्र बयान करने के अलावा गुणात्मक अंतर को इंगित करने वाली कोई भी सामग्री नहीं दी गई है। नियुक्ति किसी विशेष परियोजना के लिए नहीं की गई थी जो कार्य प्रभारित कर्मचारियों की मूल अवधारणा है। बल्कि, कार्य- प्रभारित नियोजन की अवधारणा का उस कार्य के लिए शोषण संबंधी शर्तों पर रोजगार की पेशकश करके दुरूपयोग किया गया है जो प्रकृति में नियमित और चिरस्थायी है। कार्य- प्रभारित कर्मचारियों को अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से नियमित कर्मचारियों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के अधीन किया गया था। नारायण दत्त शर्मा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (सीए संख्या _ _ _ _ _ 2019 @एसएलपी (सी) सं. 5775 सन् 2018) में अपीलकर्ताओं को कार्य-प्रभारित सेवाओं की अवधि के दौरान भी सतत् सेवा के 8 वर्ष पश्चात् दक्षता सीमा पार करने की अनुज्ञा दी गई थी। अपीलकर्ता नारायण दत्त शर्मा को एक कार्य- प्रभारित कर्मचारी के रूप में दिनांक 15.9.1978 से गेज मापक के तौर पर नियुक्त किया गया था। भुगतान मासिक किया जाता था लेकिन नियुक्ति 200-320 रुपये के वेतनमान में की गई थी। प्रारंभ में, उन्हें वर्ष 1978 में प्रति माह 205 रुपये के मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया था। उन्हें दक्षता सीमा को पार करने की भी अनुमति दी गई थी क्योंकि उन्हें कार्य- प्रभारित कर्मचारी की रूप में दी गयी सेवा की अवधि के दौरान वेतनमान का लाभ दिया गया था उन्होंने तीन से चार दशकों तक कार्य किया था और बाद में विभिन्न आदेशों द्वारा सेवाओं को समय-समय पर नियमित किया गया था। हालांकि, कुछ याचिकाओं/अपीलों में कुछ अपीलकर्ताओं की सेवाओं को नियमित नहीं किया गया है, भले ही उन्होंने कई दशकों तक सेवा की हो और अंततः सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच गये हों।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

30. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में , राज्य सरकार और उसके अधिकारियों की ओर से कार्य- प्रभारित आधार पर कर्मचारियों से काम लेना अनुचित था। उन्हें नियमित आधार पर नियुक्ति का सहारा लेना चाहिए था। कार्य-प्रभारित आधार पर लंबे समय तक कार्य लेना शोषक उपकरण को अपनाने के बराबर है। बाद में, यद्यपि उनकी सेवाओं को नियमित किया गया है। हालांकि, कार्य-प्रभारित स्थापना में उनके द्वारा बितायी गयी अवधि को अर्हकारी सेवा के लिए नहीं गिना गया है। इस प्रकार, उन्हें न केवल कार्य- प्रभारित स्थापना में कम वेतन पर सेवा देने की अवधि के दौरान उनके नियत परिलब्धियों से वंचित किया गया है, बल्कि पेंशन लाभ के लिए अवधि की गणना से भी वंचित किया गया है जैसे कि उनके द्वारा कोई सेवाएं प्रदान नहीं की गई थीं। कार्य- प्रभारित स्थापना में कम वेतन पर उनके जीवन के मूल्यवान दिनों में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से राज्य को लाभ हुआ है।

31. नियमावली 1961 के नियम 3 (8) में संलग्न नोट के दृष्टिगत, कार्य प्रभारित, आकस्मिकताओं या गैर-पेंशन योग्य सेवा में बितायी गई सेवा की गणना करने का प्रावधान है, यदि किसी व्यक्ति ने पेंशनभोगी स्थापना में दो अस्थायी नियुक्तियों की अवधि के बीच सेवा प्रदान की है या अस्थायी और स्थायी नियोजन की दो अवधियों के बीच इस तरह की सेवा प्रदान की है। कार्य- प्रभारित सेवा को पूर्वोक्त स्थितियों में पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा के रूप में गिना जा सकता है।

32. सवाल यह उठता है कि क्या उपरिका का अधिरोपण कि ऐसी गणनीय सेवा दो अस्थायी अवधियों के बीच या अस्थायी और स्थायी सेवाओं के बीच प्रदान की जानी चाहिए, वैध और उचित है। हम पाते हैं कि एक बार रिक्त पदों पर नियमितीकरण किया जा चुका था , हालांकि कर्मचारी ने अस्थायी आधार पर इससे पहले सेवा नहीं दी थी, नियुक्ति की प्रकृति को देखते हुए, हालांकि यह एक नियमित नियुक्ति नहीं थी यह मासिक वेतन पर की गयी थी और उसके बाद कार्य-प्रभारित स्थापना

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

के वेतनमान में की गई थी दक्षता सीमा को पार करने की अनुमति दी गई थी। नियमावली 1961 के नियम 3 (8) के नोट में निहित उपरिका के कारण विशेष रूप से ऐसी सेवा को नहीं गिनना अत्यधिक भेदभावपूर्ण और तर्कहीन होगा, जबकि इसे उस मामले में गिना जा सकता है, जब ऐसी सेवा दो अस्थायी या अस्थायी और स्थायी सेवाओं के बीच की हो। नियमितीकरण से पहले प्रदान की गयी कार्य-प्रभारित सेवा अवधि की गणना नहीं करने का कोई तुक या कारण नहीं है। हमारी राय में, नियम 3(8) के तहत एक अस्वीकार्य वर्गीकरण किया गया है। ऐसे कर्मचारियों को अर्हकारी सेवा के लाभ से वंचित करना बेहद अन्यायपूर्ण, अस्वीकार्य और तर्कहीन होगा। कार्य-प्रभारित अवधि की सेवा सभी कर्मचारियों के लिए समान रहती है, यदि इसे एक वर्ग के लिए गिना जाता है, तो भेदभाव को रोकने के लिए इसे सभी के लिए गिना जाना चाहिए। वर्गीकरण तर्कहीन आधार पर नहीं किया जा सकता है और जब प्रत्यर्थी स्वयं ऐसी सेवा में बितायी गयी गणना अवधि कर रहे हैं , तो यह अत्यधिक भेदभावपूर्ण होगा कि वह तुच्छ वर्गीकरण के आधार पर सेवा की गणना न करे। यह उपरिका कि कार्य-प्रभारित सेवा अस्थायी क्षमता में प्रदत्त सेवा से पहले होना चाहिए, भेदभावपूर्ण और तर्कहीन है और एक अस्वीकार्य वर्गीकरण निर्मित करता है।

33. जैसा कि नियम 3(8) को वैध और गैर-भेदभावपूर्ण बनाने के लिए पूर्वोक्त वर्गीकरण करना अन्यायपूर्ण, अवैध और अस्वीकार्य होगा, हमें नियम 3 (8) के प्रावधानों को पढ़ना होगा और मानना होगा कि नियमितीकरण से पहले भी कार्य -प्रभारित कर्मचारी, आकस्मिक भुगतान निधि कर्मचारी या गैर-पेंशन योग्य प्रतिष्ठान के रूप में प्रदत्त सेवा को भी अर्हकारी सेवा के लिए गिना जाएगा, भले ही ऐसी सेवा एक पेंशन योग्य प्रतिष्ठान में अस्थायी या नियमित नियुक्ति से पहले न हो।

34. नियम 3 (8) में संलग्न नोट के मद्देनजर, जिसे हमने पढ़ा है, सिविल सेवा विनियमों के विनियमन 370 में निहित प्रावधान को वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रस्तर 669 में निहित निर्देशों के अनुसार अभिखण्ड़ित किया जाना चाहिए।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

35. कुछ कर्मचारी हैं जिन्हें 30-40 या अधिक वर्षों के लिए सेवाएं प्रदान करने के बावजूद नियमित नहीं किया गया है, जबकि उन्हें सेवानिवृत्त किया गया है। जैसा कि उन्होंने कार्य -प्रभारित प्रतिष्ठान में काम किया है, किसी विशेष परियोजना में नहीं, उनकी सेवाओं को सरकारी निर्देशों के तहत और यहां तक कि सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमा देवी 2006 (4) एससीसी 1 में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार भी नियमित किया जाना चाहिए था। उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि न्यायालयी आदेश की सहारे के बिना दस साल से अधिक समय तक सेवाएं प्रदान की गई हैं, तो एक बार के उपाय के रूप में, ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाना चाहिए। मामले के तथ्यों में, जिन कर्मचारियों ने दस साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, उन्हें नियमित किया जाना चाहिए था। नियमितीकरण पर विचार करने के लिए उन्हें विनियमित करना उचित नहीं होगा क्योंकि अन्य को नियमित किया गया है, हम निर्देश देते हैं कि उनकी सेवाओं को नियमित रूप से माना जाए। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वे तनख्वाह में अंतर के किसी भी बकाया का दावा करने के हकदार नहीं होंगे, यदि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले उनकी सेवाएं नियमित रूप से जारी रहती। वे पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसे कि वे नियमित स्थापना से सेवानिवृत्त हुए हों और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं जिस दिन से वे कार्य-प्रभारित स्थापना में प्रवेश करते हैं, उन्हें पेंशन के उद्देश्य के लिए अर्हकारी सेवा के रूप में गिना जाएगा।

36. उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1961 के नियम 3 (8) को पढ़ने पर, हम अवधारित करते हैं कि कार्य-प्रभारित स्थापना में प्रदान की गई सेवाओं को पेंशन के अनुदान के लिए पूर्वोक्त नियम के तहत अर्हकारी सेवा के रूप में माना जाएगा। पेंशन का बकाया आदेश की तारीख से केवल तीन साल पूर्व की अवधि तक ही सीमित रहेगा। तीन महीने के भीतर स्वीकार्य लाभों का भुगतान

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

किया जाए। इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारियों द्वारा दायर अपील की अनुमति दी जाती है और राज्य द्वारा दायर खारिज की जाती है।

37. सभी लंबित अन्तर्वर्ती प्रार्थना पत्र और विविध प्रार्थना पत्र , यदि कोई हो, को निस्तारित किया जाता है।

.....
[न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा]

.....
[न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर]

.....
[न्यायमूर्ति एम. आर. शाह]

नई दिल्ली;
02 सितम्बर 2019

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।